राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मानवाधिकार

प्रस्तावना

भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में मौलिक अधिकार (Fundamental Rights), राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) तथा मानवाधिकार (Human Rights) की व्यवस्था की गई है। ये तीनों मिलकर भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy)

अर्थ

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत वे दिशा-निर्देश हैं जो भारतीय संविधान के भाग-IV (अनुच्छेद 36 से 51) में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए मार्गदर्शन देना है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित हो और लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके।

प्रमुख उद्देश्य

1. सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना।

2. कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।

3. गरीबी एवं बेरोजगारी को कम करना।

4. शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विकास करना।

5. महिलाओं एवं बच्चों का संरक्षण करना।

6. समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना।

7. पर्यावरण एवं वन्यजीवों की रक्षा करना।

8. ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना।

प्रमुख विशेषताएँ

न्यायालय में सीधे लागू नहीं किए जा सकते।

सरकार के लिए नैतिक एवं संवैधानिक मार्गदर्शक हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का आधार हैं।

जनकल्याणकारी नीतियों का आधार हैं।

महत्व

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं।

कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं।

कमजोर वर्गों का विकास करते हैं।

राष्ट्रीय विकास में सहायता करते हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करते हैं।

2. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

अर्थ

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35) में प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा की रक्षा करना है।

मौलिक अधिकारों के प्रकार

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)

कानून के समक्ष समानता।

भेदभाव का निषेध।

समान अवसर।

अस्पृश्यता का उन्मूलन।

उपाधियों का अंत।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

शांतिपूर्ण सभा का अधिकार।

संगठन बनाने का अधिकार।

देश में कहीं भी आने-जाने एवं रहने का अधिकार।

व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)

मानव तस्करी का निषेध।

बंधुआ मजदूरी का निषेध।

बाल श्रम पर रोक।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

किसी भी धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता।

5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

भाषा एवं संस्कृति की रक्षा।

अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार।

मौलिक अधिकारों का महत्व

लोकतंत्र की रक्षा करते हैं।

नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।

समानता एवं न्याय स्थापित करते हैं।

मानव गरिमा की रक्षा करते हैं।

सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं।

3. मानवाधिकार (Human Rights)

अर्थ

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान की रक्षा करते हैं।

मानवाधिकारों की विशेषताएँ

सार्वभौमिक (Universal)

जन्मजात (Inherent)

अविभाज्य (Indivisible)

समान (Equal)

अपरिहार्य (Inalienable)

प्रमुख मानवाधिकार

1. जीवन का अधिकार।

2. शिक्षा का अधिकार।

3. स्वास्थ्य का अधिकार।

4. समानता का अधिकार।

5. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

6. धार्मिक स्वतंत्रता।

7. गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार।

8. कार्य एवं रोजगार का अधिकार।

मानवाधिकारों का महत्व

मानव गरिमा की रक्षा।

सामाजिक न्याय की स्थापना।

भेदभाव एवं शोषण की रोकथाम।

लोकतंत्र को मजबूत बनाना।

विश्व शांति एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना।

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मानवाधिकार के बीच संबंध

आधार	नीति-निर्देशक सिद्धांत	मौलिक अधिकार	मानवाधिकार
उद्देश्य	लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना	नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा	प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एवं अधिकारों की रक्षा
स्वरूप	सरकार के लिए दिशा-निर्देश	न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं	राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य अधिकार
लागू होने का क्षेत्र	सरकार की नीतियाँ	भारतीय नागरिक	सभी मानव

निष्कर्ष

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करते हैं, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत सरकार को लोककल्याणकारी नीतियाँ बनाने की दिशा प्रदान करते हैं तथा मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। इन तीनों के समन्वय से सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं समावेशी विकास की स्थापना होती है और भारत एक सशक्त कल्याणकारी राज्य के रूप में आगे बढ़ता है।

संदर्भ ग्रंथ

हिंदी

1. सिंह, सुरेन्द्र. (2018). भारत में सामाजिक नीति. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।

2. अहलूवालिया, एस. पी. (2012). सामाजिक नीति एवं सामाजिक विकास. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।

3. बसु, डी. डी. (2022). भारत का संविधान: एक परिचय. नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस।

4. दुबे, श्यामाचरण. (2001). भारतीय समाज. नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।

English

1. D. D. Basu. (2022). Introduction to the Constitution of India. New Delhi: LexisNexis.

2. V. N. Shukla. (2019). Constitution of India. Lucknow: Eastern Book Company.

3. Richard M. Titmuss. (1974). Social Policy: An Introduction. London: George Allen & Unwin.